राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ.2( ) बजट / विचि / आईसीडीएस / 2018 / 121339 जयपुर, दिनांकः 4-7-18

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि अधीनस्थ जिला / परियोजना कार्यालयों द्वारा निदेशालय को चिकित्सा व्यय मद अंतर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु अधिकारी / कर्मचारी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत चिकित्सा बिलों के आधार पर मांग पत्र निदेशालय को प्रेषित कर दिया जाता है, जो नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अधिकारी / कर्मचारी द्वारा कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत चिकित्सा बिलों की जांच राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम–2013 एवं वित्त (नियम) विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 16.9.13 के अनुसार कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी से जांच करवाकर, भुगतान योग्य राशि की मांग प्रस्तुत करावें, साथ ही कार्यालय में प्रस्तुत परमावश्यक प्रमाण–पत्र परिशिष्ठ–VII / VI की छाया प्रति अवश्य संलग्न करावें। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन जिला / परियोजना कार्यालयों में लेखाकर्मी पदस्थापित नहीं है, वो संबंधित उपनिदेशक / नजदीकी बाल विकास परियोजना कार्यालय के लेखाकर्मी से बिलों की जांच करवाकर, भुगतान योग्य राशि की मांग, इस आशय के प्रमाण–पत्र के साथ निदेशालय को प्रेषित करावें कि ''प्रस्तुत बिलों की जांच, लेखाकर्मी से करवाली गई है एवं भुगतान योग्य राशि की ही मांग की गई है, जो नियमानुसार है।''

यदि भविष्य में उक्त प्रकिया के बिना अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग प्रेषित की जाती है, तो उन पर विचार नहीं किया जावेगा एवं इसके लिए संबंधित कार्यालयध्यक्ष स्वंय उत्तरदायी होगें।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.2( ) बजट / विचि / आईसीडीएस / 2018 / 121340-678 जयपुर, दिनांकः 4-7-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऐं (समस्त)
3. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

-D:\Budget\SETHI\WORD\ORDER.doc